प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2022 प्र0इ0रि0 सं. .....341/2022.....दिनांक.....31/8/2022

2. (I) अधिनियमः- धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018

   (II) अधिनियम ..... धारायें .....

   (III) अधिनियम ..... धारायें .....

   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0.....

(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....573 समय .....6:10 P.M.

(ब) अपराध घटने का दिन- बुधवार, दिनांक 14.07.2022 समय 07.19 पीएम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....14.07.2022.....

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थलः- होटल साहिल, रामगंज, जयपुर।

(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब उत्तर-पूर्व दिशा करीब 13 किमी.....

(ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना .....जिला .....

6. (i)परिवादी /सूचनाकर्ता :-

(अ) नाम-श्री मौहम्मद दानिश

(ब) पिता/पति का नाम-श्री अब्दुल वजीद

(स) जन्म तिथी- उम्र 27 साल

(द) राष्ट्रीयता - भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि

जारी होने की जगह .....

(र) व्यवसाय- प्राईवेट

(ल) पता- जेडीए क्वार्टर नम्बर 92-93, सुरजपोल, अनाज मंडी के पीछे, जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहितः-

1. श्री शमसाद अली पुत्र श्री अब्दुल समद उम्र 47 साल निवासी मु0 पो0 डूंगरी कंला, वाया रेनवाल, जिला जयपुर हाल हैड कानि0 नं0 424, पुलिस थाना रामगंज, जिला जयपुर उत्तर, आयुक्तालय जयपुर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- कुल 3000/-रू0

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

Suresh

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 14.07.2022 को परिवादी श्री मो. दानिश पुत्र श्री अब्दुल मजीद उम्र 27 साल निवासी जेडीए क्वार्टर नम्बर 92-93 सुरजपोल अनाज मंडी के पिछे जिला जयपुर ने ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "सेवामें श्रीमान्, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर, विषय कार्यवाही करने बाबत उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मै मो दानिश रामगंज में मछली की दुकान करता हूं मेरी दुकान का नाम आजाद फिश सेन्टर है। दुकान में मै व मेरा भाई शाहनवाज दोनों बैठते है। कल दिनांक 13.07.2022 को रात समय 09.30 बजे शमशाद भाई पुलिस थाना रामगंज में तैनात है। उन्होने मुझे थाने पर बुलाया और मुझे कहा की अभी मक्षली बनद है और तुम मछली बेच रहे हो इसलिए 10000 दश हजार रूपये दो नही तो दूकान बन्द करा दुगा। जब मैनें पेसे देने से मना किया तो मुझे चाटा मारा और सुबह आने के लिए कहा और सुबह 7.30 Phone करके मुझे बुलाया मै गया नहीं और उन्होने रात को आने के लिए बोला। मै मों दानिश शमशाद अली को पुलिस वर्दी में देखा है। मुझे नही मालुम की वह कानिस्टेबल है या हैडकानिस्टेबल है। मै उसे रिश्वत के रूप में कोई भी राशि नही देना चाहता हू तथा कार्यवाही करे। मेरा शमशाद से कोई भी रंजीश या लेने देन नही है।" परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है।

उप पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को ब्यूरो द्वारा करवाई जाने वाली मांग सत्यापन के बारे में अवगत कराया तथा कार्यालय के श्री मनीष कुमार कानि. 315 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी मो0 दानिश में परिचय करवाया व कानि0 से वॉईस रिकॉर्डर व नया मैमोरी कार्ड मंगवाया तथा खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को वाईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई जाकर कानि. को उक्त वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर मांग सत्यापन बाबत् मुनासिब हिदायत दी गयी तथा परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय करीबन 05.28 पीएम पर मन् उप पुलिस अधीक्षक को श्री मनीष कुमार कानि0 ने बताया कि परिवादी मो. दानिश ने जरिये मोबाईल फोन कर बताया कि श्री शमसाद अली, हैड कानि0 का फोन आया, जिसने कहा कि अभी एक घंटे में मिलने आ जाओ, जिस पर परिवादी ने कहा की अभी में कोई काम में व्यस्त हूं, फ्री होकर कॉल कर दुंगा, जिस पर श्री शमसाद अली, हैड कानि0 ने उसके बताये हुए स्थान पर मिलने के लिए कहा। इस पर कार्यालय से कानि0 श्री मनीष कुमार को रवाना कर मांग सत्यापन करवाया गया। उक्त मांग सत्यापन में समय 07.15 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 8003849410 से आरोपी श्री शमसाद अली, हैड कानि0 के वाट्सअप नम्बर 9929198786 पर ओपन स्पीकर करवाकर बात करवाई तो श्री शमसाद अली, हैड कानि0 ने रामगंज चौपड़ पर फूल वालों के पास मिलने के लिए कहा। उक्त वार्ता को वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। तत्पश्चात श्री मनीष कुमार कानि0 ने परिवादी को वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द कर आरोपी श्री शमसाद अली, हैड कानि0 द्वारा बताये गये स्थान पर रवाना कर मांग सत्यापन किया गया। उक्त मांग सत्यापन में "श्री शमसाद अली, हैड कानि0 ने परिवादी को कहा कि काम करना है या नही करना है, परिवादी द्वारा काम करने के लिए कहने पर उसने कहा की और भी तो देते है साथ ही बताया की छोटी गाडी के 1500 व बडी गाडी के 3000 लगेंगे तथा पैसे देने पर मेरी पुरी गारंटी है और रामगंज बाजार के अन्दर तक गाडी लाने पर कोई नही पकडेगा नही तो थाने का कोई भी मोटरसाईकिल वाला, काली गाडी वाला व सफेद

Suresh

गाडी वाला पकड़ कर थाने ले जायेगा और लाख पचास हजार की चपट लगेगी तथा परिवादी को कहा कि अभी 45 दिन का काम और बाकी है जिस पर अपने पापा से बात पुछकर बताना की कितने देंगे और तीन हजार रूपये लेकर इतने में काम नही होने का कहा जिस पर परिवादी द्वारा एक दो दिन में पुरा देने का कहा गया'' इत्यादि वार्ता होना पायी गयी थी।

तत्पश्चात दिनांक 18.08.2022 को परिवादी तलबशुदा उपस्थित कार्यालय आया, जिसने बताया की आरोपी श्री शमसाद अली, हैड कानि0 ने मेरे से अभी तक कोई सम्पर्क नही किया है और न ही किसी माध्यम से मेरे से रिश्वत लेनदेन की बात की है, मेरा काम सुचारू रूप से चल रहा है और मेरी गाड़िया भी आ जा रही है। जिसे अब तक किसी ने नहीं रोका। परिवादी द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में एवं दिनांक 14.07.2022 को हुई मांग सत्यापन वार्ता को काफी समय व्यतीत होने के कारण ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। परिवादी द्वारा भी ट्रेप कार्यवाही सम्भव होना नहीं बताया गया। अत: प्रकरण में मांग सत्यापन की वार्ता फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाकर रिपोर्ट प्रेषित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कि गयी।

दिनांक 14.07.2022 को मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार किये जाने बाबत् पूर्व पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री नमोनारायण मीणा, कनिष्ठ सहायक, सर्तकता शाखा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर व श्री हेमचन्द कुमावत, फायरमेन, तहसीलदार शाखा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर तलबशुदा उपस्थित आये। जिनको परिवादी द्वारा पेश की गयी प्रार्थना पत्र परिवाद से अवगत कराकर परिवादी से रूबरू करवाया। समय 04.35 पीएम पर फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता प्रारम्भ किया गया। उक्त फर्द वार्तारूपान्तण स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री मो0 दानिश के समक्ष रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 14.07.2022 वक्त करीब 07:15 पीएम, 14.07.2022 वक्त करीब 07:19 पीएम पर हुई रिकार्ड वार्ता का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से निकालकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाया, जिसमें रिकार्ड वार्ताओं को परिवादी मो0 दानिश द्वारा सुनकर अपनी व आरोपी श्री शमसाद अली हैड कानि0 की आवाजों की पहचान की गई, जिसको शब्द ब शब्द वार्ता रूपान्तरण तैयार कर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी मिलान किया गया तो सही होना पाया गया। तत्पश्चात उपरोक्त वार्ताओं की वॉईस क्लिपस को बारी-बारी पांच अलग-अलग सीडीयों मे राईट/बर्न किया गया। वॉईस क्लिपस सीडीयों में वार्ता रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर पांचो सीडीयों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलग-अलग सीडी मार्क A-1, A-2 A-3 A-4 एवं मार्क A-5 कमश: अंकित किये गये। उक्त सीडी में से दो सीडी मार्क A-1 एवं मार्क A-2 को अलग-अलग प्लास्टिक सीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी एवं मार्क A-4 श्रीमान एडीपी कॉपी व मार्क A-5 आरोपी कॉपी तैयार कि गयी, जिन्हें सुरक्षार्थ पृथक से मालखाना में जमा करवाया जायेगा। सीडी मार्क A-3 आईओ कॉपी, अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली पत्रावली के संलग्न रखी गयी। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु उपयोग में लिए गये मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB को पृथक से प्लास्टिक थैली में डालकर माचिस की डिबी में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपड़े की थैली पर मार्क कमश: MC अंकित किया गया। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर कराये गये।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से आरोपी श्री शमसाद अली पुत्र श्री अब्दुल समद उम्र 47 साल निवासी मु0 पो0 डूंगरी कंला, वाया रेनवाल, जिला जयपुर हाल हैड कानि0 नं0 424, पुलिस थाना रामगंज, जिला जयपुर उत्तर, आयुक्तालय जयपुर ने लोकसेवक होते हुए अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध

पारितोषण प्राप्त करने की मंशा से परिवादी श्री मो. दानिश से उसके द्वारा रामगंज में संचालित आजाद फिश सेन्टर पर मछलीयों की गाडी से परिवहन कर दूकान पर बेरोकटोक लाने में पुलिस सहायता करने का आश्वासन देकर 10000/ रूपये कि रिश्वती राशी की मांग की गयी। उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 14.07.2022 को दौराने मांग सत्यापन में आरोपी श्री शमशाद ने परिवादी को काम करने या नहीं करने का पुछकर मछली की छोटी गाडी दूकान पर लाने के 1500 रूपये व मछली की बडी गाडी दूकान पर लाने के 3000 रूपये रिश्वती राशी की मांग करने तथा उक्त रिश्वती राशी देने पर गाडी को दूकान तक लाने की गारंटी देना तथा रामगंज बाजार में पुलिस द्वारा गाडी को नहीं पकडने का आश्वासन देना, पुलिस द्वारा गाडी पकडने पर लाख पचास हजार की चपत लगने का भय दिखाकर परिवादी से 3000 रूपये आंशिक रिश्वती राशी प्राप्त कर इतने में काम होने वाला नहीं कहा गया। इस प्रकार आरोपी श्री शमसाद अली, हैड कानि0 नं0 424, पुलिस थाना रामगंज, जिला जयपुर उत्तर, आयुक्तालय जयपुर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 प्रथम दृष्टया गठित होना पाया गया है।

अतः आरोपी श्री शमसाद अली पुत्र श्री अब्दुल समद उम्र 47 साल निवासी मु0 पो0 डूंगरी कंला, वाया रेनवाल, जिला जयपुर हाल हैड कानि0 नं0 424, पुलिस थाना रामगंज, जिला जयपुर उत्तर, आयुक्तालय जयपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय,

Suresh 30/8/22

(सुरेश कुमार स्वामी)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री शमसाद अली, हैड कानि0 424, पुलिस थाना रामगंज, जिला जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 341/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

31.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2977-81 दिनांक 31.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस उपायुक्त, जयपुर(उत्तर), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर।

31.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।